

2025/469.

ग्रामीण सेवा शिविर अभियान-2025

सेवामें

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

बेगूं (राज)

विषय:- सम्मानजनक जाति/प्रार्थी के नाम का राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन /दर्ज करने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में निवेदन है कि मैं/ हम प्रार्थी गुलाबी देवी पिता
नाम खैरवा जाति खैरवा निवासी खैरपुर का/के हु/है।
मेरे/हमारे पटवार मण्डल खैरनिवाह के राजस्व ग्राम खैरपुर में वर्तमान रोटेशन जमाबन्दी के खाता
संख्या 114-10-8 पर भूमि दर्ज रेकॉर्ड है, जिसमें मेरा/हमारा जाति नाम खैरवा हमारा दर्ज है।
जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में खैरवा दर्ज करवाना चाहता हूँ चाहते हैं।
अतः मेरी/हमारी जाति/नाम खैरवा
के बजाय खैरवा दर्ज करवाने की कृपा करावें।
दिनांक 19/09/2025 हस्ताक्षर प्रार्थी

रिपोर्ट पटवार हल्का- खैरनिवाह तहसील-बेगूं(राज.)

महोदयजी,

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी का नाम/जाति खैरवा के
बजाय खैरवा सम्मानजनक रूप में दर्ज करवाना चाहता हूँ। हम इनकी पहचान
एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

अतः राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जाना उचित है।

भू-अभिलेख निरीक्षक- खैरनिवाह पटवारी पटवार हल्का- खैरनिवाह
कार्यालय तहसीलदार बेगूं, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज)

क्रमांक: राजस्व/2025/.../18

दिनांक/19/09/2025

मूल ही प्रार्थना पत्र श्रीमान शिविर प्रभारी महोदय को प्रेषित कर निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी एवं भू-
अभिलेख निरीक्षक अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में सम्मानजनक जाति/नाम का संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार बेगूं, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूं (राज.)

तहसीली (चित्तौड़गढ़)

क्रमांक राजस्व/2025/.../58

दिनांक / /2025

हरब रिपोर्ट तहसीलदार बेगूं के राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन की स्वीकृति दी जाती है। पटवारी
हल्का खैरनिवाह राजस्व रेकॉर्ड में उक्त संशोधन की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी, बेगूं, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)